वित्त लेखे, संघ सरकार FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां No.4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT

संविधान के अनुच्छेद 292 के अधीन, संघ सरकार, उस सीमा तक, यदि कोई हो, जिसे संसद कानून द्वारा तय करे, गारंटियां दे सकती है। सरकारी कम्पनियों / निगमों, रेलवे, संघ राज्य क्षेत्रों, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं आदि की ओर से (i) उधारों की पुनर्अदायगी और उस पर ब्याज की अदायगी, (ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी और न्यूनतम लाभांश की अदायगी, (iii) उधार आदि के आधार पर सामग्री तथा उपस्कर की पूर्ति के लिए करारों के संबंध में अदायगी के लिए संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियों को 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार यहां इस विवरण में दर्शाया गया है। ये गारंटियां भारत की समेकित निधि की आकस्मिक देयताएं होती हैं।

Under article 292 of the Constitution, the Union Government may give guarantees within such limits, if any, as may be fixed by Parliament by law. The statement here shows the position, as on 31st March 2019, of guarantees given by the Union Government for (i) repayment of borrowings and payment of interest thereon, (ii) repayment of share capital and payment of minimum dividend, (iii) payment against agreements for supplies of materials and equipment on credit basis, etc., on behalf of Government companies/corporations, Railways, Union Territories, State Governments, local bodies, joint stock companies, co-operative institutions etc. These guarantees constitute a contingent liability on the Consolidated Fund of India.

गारंटी की अधिकतम राशि जिसके लिए सरकार ने करार किए हैं और 31 मार्च, 2019 को गारंटीकृत बकाया राशियां क्रमशः लगभग ₹458542.92 करोड़ और ₹447626.36 करोड़ थीं। The maximum amount of guarantee for which Government have entered into agreements, and sums guaranteed outstanding on 31st March 2019 were ₹458542.92 crores and ₹447626.36 crores approximately, respectively.

गारंटियों की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत मंत्रालय/विभागवार विवरण नीचे दिए गए हैं:— The Ministry/Department-wise details under different categories of guarantees are given below:—

भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, नामतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि को मूलधन की पुनर्अदायगी और ब्याज की अदायगी, रोकड़ उधार संबंधी सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्यों का वित्तपोषण करने और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में कार्यचालन पूंजी प्रदान करने हेतू दी गई गारंटियां।

Guarantees given to the Reserve Bank of India, other banks, industrial financial institutions viz., Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, etc., for repayment of principal and payment of interest, cash credit facility, financing seasonal agricultural operations and for providing working capital in respect of companies, corporations, co-operative societies and co-operative banks.

वित्त लेखे, संघ सरकार

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सं. 4—संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां—जारी

No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT-Contd.

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के अलावा)	वर्ष के दौरान मांगी गई राशि		वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस		अन्य तात्विक ब्योरे
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other	Invoked during the year		Outstand- ing at the end of the year	Guarantee Commission or Fee		Other material details
	year			than invoked during the year)	उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged		प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11 इ रुपयों में) of rupees)
कृषि मंत्रालय — MINISTRY OF AGRICULTURE— कृषि और सहकारिता विभाग Department of										
Agriculture and Co-opera	ation 39037.00 (5)	19037.00 (2)	20000.00 (3)	25.24 (0)	_	_	39011.76 (5)	@	@	_
वित्त मंत्रालय — MINISTRY OF FINANCE वित्तीय सेवाएँ विभाग @@	!—									
Department of Financial Services @@	21358.35 (17)	16762.41 (16)	4595.94 (1)	4839.59 (2)	_	_	16518.76 (15)	76.49	*76.34	_
राजस्व विभाग Department of Revenue	800.00 (1)	800.00 (1)	_	799.99	_	_	0.01 (1)	1.85	1.85	_

उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION उद्योग मंत्रालय — MINISTRY OF INDUSTRY—	9495.00 (1)	9495.00 (1)	_	_	_	_	9495.00 (1)	**	**	_
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रात खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग MINISTRY OF MICRO, SMALI AND MEDIUM ENTERPRISES, KHADI & VILLAGE INDUSTRIES COMMISSION (KVIC)		249.00 (1)	_	249.00 (1)	_	_	_	80.33	##0.00	_

- @ सीसीईए द्वारा गारंटी शुल्क का अधित्याग कर दिया गया।
- @ Guarantee fee has been waived off by the CCEA.
- विनिमय दर में घट-बढ़ होने के कारण।
- * Due to exchange rate fluctuation.
- ** मंत्रालय ने अपने दिनांक 25.4.2008 के पत्र द्वारा सरकार द्वारा निष्पादित एकल डिफाल्ट गारंटी के लिए देय गारंटी शुल्क का अधित्याग कर दिया है।
- ** Ministry vide its letter dated 25.4.2008 has waived the guarantee fee payable towards single default guarantee executed by the Government.
- ## केवीआईसी न तो सार्वजिनक क्षेत्र का उपक्रम है और न ही लाभ अर्जित करने वाला संगठन है, यह एक संवर्धन संगठन है।
- ## KVIC is neither a public sector undertaking (PSU) nor a profit making organization. It is a promotional organization.
- @@ आर्थिक कार्य विभाग में से एक नए नियंत्रक (वित्तीय सेवाएँ विभाग) का सृजन।
- @@ Due to creation of a new controller (Department of Financial Services) out of Department of Econonmic Affairs.

वित्त लेखे, संघ सरकार FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सं. 4—संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां—जारी No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT—Contd.

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के अलावा)	वर्ष के मांगी राशि	गई	वर्ष के अंत में बकाया	गारंत कमीश अथवा १	गन	अन्य तात्विक ब्योरे
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the	Outstanding at the beginning of	Additions during the year	Deletion during the year (Other	Involution Involution in the 3	ng	Outstanding at the end of the year	Guaras Commi or Fo	ssion	Other material details
	year	the year		than invoked during the year)	उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged	the year	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11 रुपयों में) of rupees)
रसायन और उर्वरक मंत्रालय MINISTRY OF CHEMICA AND FERTILISERS— औषध विभाग									·	
Department of Pharmaceuticals	1132.95 (9)	1117.23 (9)	15.72	_	_	_	1132.95 (9)	84.99	\$	_
जल संसाधन मंत्रालय MINISTRY OF WATER RESOURCES								2.59**	2.59**	

- (ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए / वसूल किए गए बांडों / ऋणों, डिबेंचरों की 49 पुनर्अदायगी के लिए दी गई गारंटियां :-
- (ii) Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions: —

विद्युत मंत्रालय									एस	एलआर
MINISTRY OF POWER	7000.00 (2)	7000.00 (2)	_	_	_	_	7000.00 (2)	70.00	70.00 SLF	बांड R Bond
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्व	जनिक									
वितरण मंत्रालय MINISTRY OF CONSUMER										
AFFAIRS, FOOD AND	21000.00	13000.00	8000.00	_	_	_	21000.00	#	#	_
PUBLIC DISTRIBUTION	(3)	(2)	(1)				(3)			
रेल मंत्रालय										
MINISTRY OF RAILWAYS	2308.84 (3)	*1442.43 (2)	866.41 (1)	_	_	_	2308.84 (3)	17.30	17.30	_
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रा MINISTRY OF COMMUNICA										
AND INFORMATION TECH										
दूरसंचार विभाग										
Department of Telecommunications	7513.97	7513.97	_	_	_	_	7513.97	29.80	@—	_
	(4)	(4)					(4)		_	

वर्ष 2017–18 में लेखों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद प्राप्त हुई संशोधित सूचना को शामिल न किए जाने के कारण पिछले वर्ष से भिन्न है।

Differs from last year due to non incorporation of revised information receivied after finalisation of accounts in 2017-18.

निदेशक (ए/सीएस-II) द्वारा सूचित किए अनुसार, गलती से 2018–19 के स्थान पर वर्ष 2017–18 की राशि लेखाबद्ध हो गई।

As communicatted by Director (A/cs-II), the amount was erroneously accounted for during 2017-18 instead of 2018-19.

गारंटी शुल्क के भुगतान न किए जाने के लिए शास्ति दर्शाता है और इस राशि की प्रविष्टि मुख्य शीर्ष के 0070 अंतर्गत की गई है।

Represents penalty for non-payment of guarantee fee and amount has been booked under Major Head 0070.

उपभोक्ता मामले, खाँद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के दिनांक 25-4-2008 के पत्र सं. 5-5/2006-एफरी-II के तहत एफसीआई को दिए गए सिंगल डिंफाल्ट गारंटी के रूप में गारंटी शुल्क को माफ कर दिया है।

The M/o Consumer Affairs, Food &PD vide letter No.5-5/2006-FC-II dated 25-4-2008 has waived the guarantee fees as Single Default Guarantee extended to FCI.

इंडियन ड्रग्स फार्माक्यूटिकल्स लि. द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान गारंटी शुल्क / कमीशन का भुगतान नहीं कियाँ गया क्योंकि कंपनी रूग्ण है।

No Guarantee fee/Commission was paid during 2018-19 by Indian Drugs Pharmaceuticals Ltd as the Company is Sick.

वित्त लेखे, संघ सरकार FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सं. 4—संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां—जारी No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT—Contd.

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के अलावा)	वर्ष के मांगी राशि	गई	वर्ष के अंत में बकाया	गारंत कमीश अथवा प	गन	अन्य तात्विक ब्योरे
Name of Ministry	Amount		Additions during the year	Deletion	Invoked during the year		Outstand- ing at the end of the year	Guarantee Commission or Fee		Other material details
					उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged	ino year	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									• •	रुपयों में) of rupees)

- (iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज / वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों / पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति के लिए करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसार दी गई गारंटियाँ :--
- (iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:

नागर विमानन मंत्रालय MINISTRY OF CIVILAVIATION	49043.58 (40)	48435.23 (38)	608.35 (2)	194.87	_	_	48848.71 (40)	1546.28	\$3.74	_
कोयला मंत्रालय										
MINISTRY OF COAL	674.55	666.64	*7.91	*43.51		_	631.04	6.07	6.07	_
	(3)	(3)					(3)			
विद्युत मंत्रालय										
MINISTRY OF POWER	41176.03	34579.09	**6596.94	**2437.32		_	38738.71	476.07	476.07	_
	(45)	(43)	(2)	(1)			(44)			

वित्त मंत्रालय — MINISTRY OF FINANCE-										
आर्थिक कार्य विभाग @@	_									
Department of	167326.07	141009.20	26316.87	1202.87	_	_	166123.20	133.66	#130.45	_
Economic Affairs@@	(195)	(168)	(27)				(195)			
वित्तीय सेवाएं विभाग@@										
Department of	14051.25	12483.17	1568.08	521.03	_	_	13530.22	33.22	33.22	_
Financial Services@@	(11)	(10)	(1)				(11)			
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	ਜ਼ੇਕ ਾ ਕਸ									
MINISTRY OF MICRO,	Taleid									
SMALL & MEDIUM ENTER	RPRISES 57.31	56.91	0.40	*4.63	_	_	52.68	0.23	0.23	_
	(3)	(3)	(0)				(3)			
सड़क परिवहन और राजमार्ग	मंत्रालय									
MINISTRY OF ROAD										
TRANSPORT AND HIGHW	/AYS 604.44	604.44	_	33.48	_	_	570.96	1.48	1.48	_
	(1)	(1)					(1)			
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	मंत्रालय									
MINISTRY OF NEW AND										
RENEWABLE ENERGY	8491.79	7066.23	1425.56	361.11	_		8130.68	84.73	84.73	_
	(13)	(13)	(0)				(13)			

विनिमय दर में बदलाव के कारण।

^{*} Due to exchange rate variation.

[#] प्राप्त और प्राप्य गारंटी शुल्क में अन्तर एनएचबी द्वारा वर्ष 2018-19 से संबंधित ₹3.21 करोड़ के भुगतान के कारण है जो 2017-18 में प्राप्त हुआ।

[#] The difference between Guarantee Fee Received and receivable is due to payment of ₹3.21 crore by NHB pertaining to 2018-19 received in 2017-18.

^{@@} आर्थिक कार्य विभाग में से नए नियंत्रक (वित्तीय सेवाएं विभाग) के सृजन के कारण।

^{@@} Due to creation of a new controller (Department of Financial Services) out of Department of Econonmic Affairs.

^{**} विनिमय दर परिवर्तन शामिल।

^{**} Includes exchage rate varation.

^{\$} नागर विमानन मंत्रालय के दिनांक 18/6/2019 के पत्र सं. जी.39/3/2017-एफ1-एमओसीए के अनुसार एयर इण्डिया लि. ने अत्यधिक नकदी कमी के कारण गारंटी शुल्क का भुगतान नहीं किया।

^{\$} As per M/o Civil Aviation letter No.G.39/3/2017-F1-MoCA dated 18/6/2019 Air India Ltd has not paid guarantee fee due to severe Liquidity Crunch.

वित्त लेखे, संघ सरकार FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सं. 4—संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां—जारी No.4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT—Contd.

मंत्रालय का नाम Name of Ministry	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि Maximum Amount Guaranteed	वर्ष के आरंभ में बकाया Outstanding at the beginning of	वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के अलावा) Deletion during the year	वर्ष के मांगी रागि Invo duri the y	गई श ked ing	वर्ष के अंत में बकाया Outstand- ing at the end of	गारंत कमीइ अथवा प Guara: Commi or F	गन फीस ntee ssion	अन्य तात्विक ब्योरे Other material details
	during the year	the year		(Other than invoked during the year)	उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged	the year	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11 रुपयों में) of rupees)
इस्पात मंत्रालय MINISTRY OF STEEL आवासन और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	399.19 (2)	399.19 (2)	_	39.60	_	_	359.59 (2)	0.99	1.00*	_
MINISTRY OF HUPA वाणिज्य विभाग	370.64 (2)	353.77 (2)	^16.87	^74.11	_	_	296.53 (2)	2.77	2.77	_
DEPARTMENT OF COMMERCE	1054.00 (1)		1054.00 (1)	_			1054.00 (1)	0.49	#11.03	_

शहरी विकास मंत्रालय
MINISTRY OF URBAN
DEVELOPMENT

DEVELOPMENT	1098.88 (2)	816.18 (2)	282.70	90.21	_	_	1008.67 (2)	9.79	9.79	_
विदेश मंत्रालय MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS	64300.08 (7)	57928.00 (7)	^6372.08	_	_	_	64300.08 (7)	**	**	_

विदेशी पूर्तिकर्ताओं को उनके द्वारा उधार के आधार पर की गई पूर्तियों/दी गई सेवाओं के लिए निम्नलिखित कंपनियों/निगमों द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्रों के संबंध में बैंकों को दी गई प्रति–गारंटियाँ :-

(iv) Counter-guarantees to banks in consideration of the banks having issued letters of authority to foreign suppliers for supplies/services made/rendered by them on credit basis, in favour of the companies/corporations:—

— शून्य / NIL —

- विनिमय दर में बदलाव के कारण।
- ^ Due to exchange rate variation.
- * विदेशी मुद्रा में अदा किए गए ब्याज के कारण।
- * Due to interest paid on foreign currecy.
- ** सरकार द्वारा एक्सिस बैंक को विदेश मंत्रालय द्वारा विदेशों को दिए गए लाइंस ऑफ क्रेडिट को पूरा करने के लिए मुहैया कराई गई गारंटी, गारंटियों की पिरसीमा में नहीं आती है जैसािक राजपत्र अधिसूचना सं. एस.ओ.2979 (ई) दिनांक 20-12-2010 में उल्लिखित है और इसीिलए कोई गारंटी शूल्क / कमीशन मुहैया नहीं कराया गया।
- ** Guarantee provided by the Government to Exim Bank for fulfilment of Lines of Credit extended to foreign countries by the MEA does not fall under the purview of guarantees as mentioned in the Gazette Notification no. S.O.2979(E) dated 20-12-2010 and hence no guarantee fee/commission is provided.
- ^ वर्ष 2019-20 में प्राप्य ₹10.54 करोड़ की गारंटी फीस, जो वर्ष 2018-19 में प्राप्त हुई, शामिल है।
- # Includes ₹10.54 Crore guarantee fee receivable in 2019-20 received in 2018-19.

वित्त लेखे, संघ सरकार

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सं. 4–संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां–*जारी*

No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT—Contd.

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के अलावा)	वर्ष के मांगी रागि	गई	वर्ष के अंत में बकाया	गारं कमीइ अथवा	गन	अन्य तात्विक ब्योरे
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than	Invoked during the year उन्मोचित अननुमोचित		Outstanding at the end of the year	Guarantee Commission or Fee		Other material details
	•			invoked during the year)	Discharged	Not Discharged		प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11 रुपयों में) of rupees)

- (v) कम्पनियों, निगमों द्वारा देय राशियों / भाड़ा प्रभारों के समय पर भुगतान हेतु रेलवे / राज्य विद्युत बोर्डों को दी गई गारंटियां —
- (v) Guarantees given to Railways/State Electricity Boards for due and punctual payment of dues/freight charges by Companies, Corporations: —

— शून्य / NIL —

- (vi) विदेशों में भारतीय कम्पनियों को दिए गए ठेकों / परियोजनाओं को पूरा करने हेतु दी गई निष्पादन गारंटियां:--
- (vi) Performance guarantees given for fulfilment of contracts/projects awarded to Indian companies in foreign countries: —

- (vii) विदेशों में विदेशी कम्पनियों को दिए गए ठेकों / परियोजनाओं को पूरा करने हेतु दी गई निष्पादन गारंटियां :--
- (vii) Performance guarantees given for fulfilment of contracts/projects awarded to foreign companies in foreign countries:-

—शून्य / NIL —

- (viii) कोई अन्य –
- (viii) Any Other: —

— शून्य / NIL —